UPM0010084572023

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–03, मुरादाबाद ।

पीठासीन अधिकारी– (सुरेन्द्र कुमार), **(उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP02401**

दाण्डिक निगरानी संख्या–300/2023

रमेश चन्द्र सिंह पुत्र टीकम सिंह,
निवासी–मौहल्ला ठाकुरान, कस्वा व थाना बिलारी, जिला मुरादाबाद ।

..... **निगरानीकर्ता।**

बनाम

1. उ0प्र0 सरकार द्वारा डी0 जी0 सी0(क्रिमिनल), मुरादाबाद।
2. गणेश बहादुर पुत्र धन बहादुर,
   निवासी–यू0 37 ब्लाक बी0 शर्मा कॉलोनी बुद्धि बिहार फेस–2 दिल्ली।
3. पवन कुमार पुत्र जगत पाल सिंह,
   निवासी–मौहल्ला होलीवाला कुऑ, थाना व कस्बा पाकबड़ा, जनपद मुरादाबाद हाल तैनात भुवर पुलिस चौकी थाना ठाकुरगंज लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
4. रूचि पत्नी संजय पुत्र मौहल्ला छतरी वाला कस्बा व थाना पाकबड़ा, जनपद मुरादाबाद हाल निवासी मोहन नगर गाजियाबाद, उ.प्र.।

..... **विपक्षीगण।**

निर्णय

(1)– प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी अन्तर्गत धारा–397 व 401 दं.प्र.सं. , निगरानीकर्ता ने विपक्षीगण के विरूद्ध न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या–3, जिला मुरादाबाद द्वारा फौजदारी विविध वाद संख्या–735/2023, रमेश चन्द्र सिंह बनाम गणेश बहादुर आदि में पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 22.05.2023 के विरुद्ध योजित की गयी है। उक्त आदेश के द्वारा निगरानीकर्ता का उक्त फौजदारी विविध वाद संख्या–735/2023, अन्तर्गत धारा–156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता निरस्त किया गया है।

(2)– संक्षेप में फौजदारी विविध वाद संख्या–735/2023, अन्तर्गत धारा–156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तथ्य इस प्रकार हैं कि, "प्रार्थी रमेश चन्द्र सिंह पुत्र स्व० टीकम सिंह, निवासी ठाकुरान, थाना व तह0 बिलारी, जनपद मुरादाबाद का रहने वाला है। प्रार्थी का सगा भान्जा पवन कुमार प्रार्थी के घर पर आया और कहा कि उसका एक मित्र गणेश बहादुर दिल्ली का रहने वाला है, उसे कारोबार में नुकसान हो गया है। हमारे गांव की लड़की रूचि भी उसे अच्छे से जानती है। उसी ने उसे गणेश बहादुर से मिलवाया है। वह बहुत अच्छा इन्सान है। आप उसे दस लाख रूपये दे दो। वह तुम्हे बैंक से मिलने वाले ब्याज से भी अधिक पैसा 4 साल में वापस कर देगा और रूपया वापस करने की जिम्मेदारी उसकी व रूचि की होगी। रूचि ने भी प्रार्थी को विश्वास दिलाया। उक्त दोनों व्यक्तियों पर विश्वास करके प्रार्थी गणेश बहादुर के यहां दिल्ली पहुंचे। गणेश बहादुर ने भी

अपने कारोबार के नुकसान की बात कहकर 10,00,000/– रुपये उधार मांगे तथा 4 साल में बैंक से अधिक ब्याज के साथ वापस करने की बात कही। प्रार्थी ने उक्त व्यक्तियों पर विश्वास करके चैक सं० क्रमशः 000002 एवं 000004 अपने खाता सं0–56410100001091 बैंक ऑफ बडौदा शाखा बिलारी मुरादाबाद मु० 5,00,000/– रूपये दिनांकित 26.10.2016 एवं 29.10.2016 को गणेश बहादुर को दिये। गणेश बहादुर ने भी प्रार्थी को विश्वास दिलाने के लिए अपने खाते से पोस्टेड चैक सं० क्रमशः 000912 व 000913 दिनांकित 25.03.2021 एक आई०सी०आई०सी०आई० बैंक शाखा नाव्दी पार्क शक्ति नगर नई दिल्ली 110007 के दे दिये। प्रार्थी द्वारा दिये गये चैकों का भुगतान गणेश बहादुर ने प्राप्त कर लिया। चार साल की अवधि बीत जाने के बाद भी गणेश बहादुर ने प्रार्थी को 10,00,000/– रूपये वापस नहीं किये। प्रार्थी ने पवन कुमार व रूचि से भी कहा तो उन्होंने भी गणेश बहादुर द्वारा दिये गये चैक सं० कमशः 000912 व 000913 खाता सं० 100405500377 आई०सी०आई०सी०आई० बैंक शाखी नाव्दा पार्क शक्ति नगर नई दिल्ली दिनांकित 25.03.2021 धनराशि क्रमशः पांच–पांच लाख रूपये अपने खाता सं0–5641010000109 बैंक ऑफ बढौदा शाखा बिलारी जिला मुरादाबाद में भुगतान हेतु जमा किये, लेकिन गणेश बहादुर के खाते में अपर्याप्त धनराशि होने के कारण प्रार्थी को दोनों चैक मेमो रसीद के साथ दिनांक 2.07.2021 को बैंक पहुंचने पर वापस कर दिये गये। प्रार्थी ने उक्त व्यक्तियों से अनेकों बार अपने रूपये वापस करने को कहा, लेकिन वे टाल मटोल करते रहे। दिनांक 09.09.2021 को उक्त गणेश बहादुर करीब 11.00 बजे दिन के तीस हजारी कोर्ट दिल्ली में मिला तो प्रार्थी ने अपने रूपये वापस मांगे, तब गणेश बहादुर ने प्रार्थी को रूपये वापस करने से साफ इन्कार कर दिया तथा धमकी दी अगर रूपये वापस मांगे या कोई कार्यवाही की तो उसे जान से मार दूंगा।"

(3)– निगरानीकर्ता ने विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजीय साक्ष्य में एस.एस.पी. मुरादाबाद आदि को भेजे गये प्रार्थना पत्र की छायाप्रति व स्वयं के आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल की गयी। तत्पश्चात् विद्वान अवर न्यायालय द्वारा सुनवाई के उपरांत निगरानीकर्ता का विविध वाद अंतर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता खारिज कर दिया, जिससे क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता द्वारा यह दाण्डिक निगरानी प्रस्तुत की गई है।

(4)– निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी में यह आधार लिये गये हैं कि, विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 22.05.2023 विधि विरूद्ध है तथा स्थिर रहने योग्य नहीं है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित करते समय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) सी.आर.पी.सी. की अन्तर्वस्तुओं एवं तथ्यों पर कोई भी ध्यान आकर्षित नहीं किया और सरसरी रूप से मनमाना आदेश पारित किया है। इस प्रकार विद्वान अवर न्यायालय द्वारा न्यायिक मस्तिष्क का प्रस्तुत प्रकरण में प्रयोग नहीं किया है। प्रार्थना पत्र धारा 156 (3) सी.आर.पी.सी. के कथनों से स्पष्ट है कि विपक्षीगण द्वारा निगरानीकर्ता के साथ साजिश के तहत धोखाधड़ी करके 10,00,000/–रू० (दस लाख रूपये) की मोटी रकम हड़पी तथा मांगने पर जान से मारने की धमकी दी गई, जिसका उल्लेख प्रार्थना पत्र में अंकित है। जिससे विपक्षीगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया ही संज्ञेय अपराध किये जाने का मामला बनता है। इस तथ्य पर विद्वान अवर न्यायालय द्वारा ध्यान आकर्षित न करके विधि की भारी भूल की है तथा

अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने मे अवर न्यायालय असफल रहा है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा इस ओर भी कोई ध्यान आकर्षित नहीं किया गया कि चैक केवल विपक्षी सं० 2 द्वारा ही दिया गया है। अन्य विपक्षीगण 3 व 4 के विरूद्ध धारा 138 एन० आई० एक्ट की कार्यवाही किस प्रकार सम्भव है। विपक्षीगण द्वारा किये गये अपराध के लिये केवल परिवाद के माध्यम से न्याय मिलना सम्भव नहीं है। विपक्षीगण शातिर किस्म के लोग हैं, बिना विवेचना के उनके द्वारा किये गये अपराध के लिये दण्ड दिलाया जाना सम्भव नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनेक विधि व्यवस्थओं में प्रतिपादित किया गया है कि चैक बाउंस के मामले में भी प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज हो सकती है। इस प्रकार विद्वान अवर न्यायालय द्वारा इस ओर भी ध्यान आकृषित नहीं किया और आदेश में अभिमत प्रकट करना कि केवल धारा–138 एन० आई० एक्ट का मामला बनता है, धारणीय नहीं है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध अनियमित है तथा मनमाना है, जिसे निरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः विद्वान अवर न्यायालय द्वारा विधि–विरूद्ध फौजदारी वाद संख्या–735/2023 में पारित आदेश दिनांक 22.05.2023 को निरस्त फरमाकर निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार करने की याचना की गयी है।

(5)– मैंने निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी सं0–1 की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक) की बहस को सुना एवं विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध समस्त अभिलेखों का सम्यक रूपेण अवलोकन किया।

(6)– विपक्षीगण संख्या–2 ता 4 की ओर से कोई उपस्थित नहीं। हालांकि विपक्षी संख्या–2 ता 4 की ओर से वकालतनामा पत्रावली में संलग्न है, जिससे स्पष्ट है कि उन्हें मुकदमे की जानकारी है, उसके बावजूद भी विपक्षी संख्या–2 ता 4 की ओर से कोई उपस्थित नहीं है तथा न ही उनकी ओर से कोई स्थगन ही प्रस्तुत किया गया है। अतः दाण्डिक निगरानी गुण दोष के आधार पर निर्णीत की जा रही है।

(7)– विपक्षी संख्या–1 की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विधिपूर्ण आदेश पारित किया गया है। अतः अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 22.05.2023 में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

(8)– निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस तर्क दिया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत आदेश पारित किया गया है। उनके द्वारा विद्वान अवर न्यायालय के आदेश दिनांकित 22.05.2023 को निरस्त कर निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार किये जाने की याचना की है।

(9)– विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि, निगरानीकर्ता ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता में कथन किया है कि विपक्षी संख्या–2 ता 4 द्वारा आपस में मिलकर निगरानीकर्ता से 10,00,000/– रुपये 4 साल के लिए बैंक से अधिक ब्याज के साथ वापस करने की बात पर उधार मांगे तथा निगरानीकर्ता ने चैक सं0 क्रमशः 000002 व 000004 दिनांकित 26.10.2016 एवं 29.10.2016 अपने खाता सं0–56410100001091,

धनराशि 5,00,000/– रूपये, बैंक ऑफ बडौदा शाखा बिलारी मुरादाबाद गणेश बहादुर को दिये। विपक्षी गणेश बहादुर ने भी निगरानीकर्ता को अपने खाते से पोस्टेड चैक संख्या क्रमशः 000912 व 000913, दिनांकित 25.03.2021 खाता सं0–100405500 377, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा नाव्दी पार्क शक्ति नगर नई दिल्ली के दे दिये। निगरानीकर्ता द्वारा उक्त चैक अपने खाता में भुगतान हेतु जमा किये, लेकिन गणेश बहादुर के खाते में अपर्याप्त धनराशि होने के कारण प्रार्थी को दोनों चैक मेमो रसीद के साथ दिनांक 02.07.2021 को बैंक पहुंचने पर वापस कर दिये गये। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र निगरानीकर्ता को सुनने के पश्चात् यह निष्कर्ष देते हुए प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया है कि "आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र में किये कथन पैसों के लेन–देन व चैक बाउंस से संबंधित है। चैक बाउंस के संबंधित मामलों की सुनवाई हेतु स्पेशल एन.आई. एक्ट न्यायालय उपलब्ध है। अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विश्लेषण से न्यायालय इस मत का है कि प्रस्तुत प्रकरण में कोई भी संज्ञेय अपराध का बनना नहीं पाया जाता है।" निगरानीकर्ता द्वारा विपक्षी गणेश बहादुर को दो चैक देने तथा चैक में वर्णित धनराशि विपक्षीगण द्वारा प्राप्त कर लेने का कथन किया है, परन्तु उसके द्वारा दर्शाये गये अपने खाता का लेन–देन का विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। निगरानीकर्ता ने यह भी कथन किया है कि विपक्षी गणेश बहादुर ने उसे अपने खाते से पोस्टेड चैक संख्या क्रमशः 000912 व 000913, दिनांकित 25.03.2021 खाता सं0–100405500377, आई.सी.आई. सी.आई. बैंक शाखा नाव्दी पार्क शक्ति नगर नई दिल्ली के दिये, जिन्हें निगरानीकर्ता द्वारा अपने खाते में लगाये जाने पर बैंक द्वारा विपक्षी गणेश बहादुर के खाते में अपर्याप्त धनराशि होने के कारण दोनों चैक मैमो रसीद के साथ दिनांक 02.07.2021 को वापस कर दिये, जबकि निगरानीकर्ता द्वारा न तो विपक्षी द्वारा दिये गये चैक की छायाप्रति दाखिल की गयी है तथा न ही बैंक द्वारा जारी रिटर्न मैमो की रसीद दाखिल की गयी है। निगरानीकर्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह भी कथन किया है कि दिनांक 09.09.2021 को निगरानीकर्ता द्वारा उक्त गणेश बहादुर करीब 11.00 बजे दिन के तीस हजारी कोर्ट दिल्ली में रूपये वापस मांगने पर विपक्षी गणेश बहादुर के द्वारा रूपयों देने से साफ इन्कार कर दिया तथा निगरानीकर्ता को जान से मार देने की धमकी दी। निगरानीकर्ता द्वारा अपने उक्त कथन के संबंध में पृथक रूप से कोई प्रार्थना पत्र संबंधित थाने पर नहीं दिया गया है तथा न ही इस संबंध में पुलिस को सूचना देने का कोई कथन किया गया है। निगरानीकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में किये गये कथनों के अलावा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया गया है। धारा 156(3) सी.आर.पी.सी. के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि, धारा 156(3) सी.आर.पी.सी. के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय मजिस्ट्रेट को विस्तृत शक्तियां प्राप्त हैं। वह मामले को खारिज कर सकता है एवं उसे परिवाद के रूप में दर्ज कर सकता है अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश पारित कर सकता है।

(10)– उपरोक्त समस्त विश्लेषण एवं विद्वान अवर न्यायालय के प्रश्नगत आदेश दिनांकित 22.05.2023 के गंभीरतापूर्वक अवलोकन से पुनरीक्षण न्यायालय की राय में प्रश्नगत आदेश दिनांकित 22.05.2023 विधिक त्रुटि से ग्रसित नहीं है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 22.05.2023 पुष्ट किया जाकर, प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

निगरानीकर्ता रमेश चन्द्र सिंह की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी संख्या–300/2023, अन्तर्गत धारा–300 व 401 दं.प्र.सं. निरस्त की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विविध वाद संख्या–735/2023 अन्तर्गत धारा–156(3) सी.आर.पी.सी. में पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 22.05.2023 पुष्ट किया जाता है।

कार्यालय लिपिक को आदेशित किया जाता है कि, इस आदेश की एक प्रति, अवर न्यायालय में नियमानुसार प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(सुरेन्द्र कुमार)
दिनांकः 21.07.2026 अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0–3, मुरादाबाद।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

(सुरेन्द्र कुमार)
दिनांकः 21.07.2026 अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0–3, मुरादाबाद।